संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, म0प्र0 भोपाल
फोन :--0755--2578491, फेक्स--2570122
E- rkvyhorti@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3558 भोपाल, दिनांक 1/6/2020

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला- सागर, कटनी, दमोह, पन्ना एवं नीमच।

विषयः- आरकेव्हीवाय-रफ्तार अंतर्गत वर्ष 2019-20 में "उच्च तकनीकि से पान की खेती" के भौतिक-वित्तीय लक्ष्य का वर्ष 2020-21 में आबंटन बावत।

संदर्भः- संचालनालय का क्र/उद्यान/RKVY/2019-20/2466 भोपाल, दिनांक 09/03/2020

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत वर्ष 2019-20 में "उच्च तकनीकि से पान की खेती" परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भौतिक- वित्तीय लक्ष्य जारी किए गए थे। परंतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किए जाने से भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों को वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित किया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम (MPFSTS) के माध्यम से किया जाना है। योजना क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेः-

1. उच्च तकनीकि पान की खेती अंतर्गत सिकमी (भूमिहीन कृषक) के पंजीकरण हेतु सिकमी कृषक का नाम अंकित किया जावेगा एवं भूमि संबंधी जानकारी भूमि स्वामी की भरी जावे।
2. प्रत्येक कृषक का पृथक-पृथक पंजीयन किया जावे, समूह में कृषकों का पंजीयन स्वीकार नहीं होगा।
3. यदि किन्हीं परिस्थितियों के कारण सिकमी कृषक का पंजीयन विभागीय पोर्टल पर नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में कृषक का पंजीयन करते समय खसरा क्रमांक के साथ A,B,C,D अथवा अ, ब, स, द, दर्ज किया जाकर पंजीयन पूर्ण कराया जावे।
4. सिकमी कृषकों को योजना का लाभ दिये जाने के पूर्व, कृषकों द्वारा भूमि स्वामी से किया गया अनुबंध पत्र/शपथ पत्र की प्रति प्राप्त की जावे।
5. योजनांतर्गत चयनित कृषकों का योजना प्रावधानानुसार समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् आशय पत्र जारी किये जावे।
6. भौतिक सत्यापन के दौरान मध्यप्रदेश पान किसान एवं व्यापारी संगठन के स्थानीय प्रतिनिधियों को यथा संभव सम्मिलित किया जावे।
7. उच्च तकनीकी से पान की खेती हेतु प्रति कृषक को 500 वर्ग मीटर के लिए इकाई लागत रू.1,20,000/- का 35 प्रतिशत अधिकतम रूपये 42,000/- अनुदान देय होगा।
8. पूर्व के लाभान्वित कृषक/ सिकमी कृषक को योजनांतर्गत पुनः लाभ देय नहीं होगा।
9. योजना में प्रावधान अनुसार शेडनेट, एम.एस.पाईप, प्लास्टिक मल्चिंग, जी.आई.वायर एवं माइक्रोइरीगेशन सिस्टम इत्यादि सामग्री की व्यवस्था किसान अपनी स्वेच्छा अनुसार स्वयं अथवा एमपी एग्रो के माध्यम करने हेतु स्वतंत्र है।
10. किसान स्वयं सामग्री क्रय करके पान बरेजा का निर्माण योजना के प्रावधान एवं दिशा-निर्देशानुसार पान फसल का रोपण करता है तो ऐसे किसानों को अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में प्रदाय की जाएगी। इस हेतु कृषक को जिला कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर संबंधित क्षेत्र के ग्रा.वि.उ.अधि./वरि.उ.वि.अधि. द्वारा **जियो-टैगिंग** की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
11. किसान अपनी कृषक अंश राशि को एमपी एग्रो में जमा करके पान बरेजा का निर्माण करता है तो ऐसे किसानों की अनुदान राशि का भुगतान एमपी एग्रो को किया जाएगा।

12. जिला अधिकारी 01 माह में इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा जिला अधिकारी रेण्डम आधार पर जिले में भ्रमण कर योजना के हितग्राहियों से संपर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मंक कदम उठायेंगे।
13. योजनांतर्गत 500 वर्ग मीटर हेतु पान बरेजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री का विवरणः-

S.No.	Component	Details	Quantity	Total Cost
1	Shade Net	Top- 100x5 sq.mt.= 500 sq.mt. Coverd side- 105x2.5x2=525 sq.mt.	1025 sq.mt.	35,875
2	MS Pipe	1.25 inches pipes dia 20 ft.	100 pipes	60,000
		0.5 inches pipes dia 20 ft.	50 pipes	11,000
3	GI Wire	12 Gaze Wire	32 kg.	5,040
		16 Gaze Wire	24 kg.	
4	Bordo Mixture	Copper Sulphate & Quick Line	11 kg.	2,200
5	Plastic Mulching	Mulching Film (8 rows of 100mx1m)	800 R.M.	2,560
6	Irrigation System	PVC Pipe (3 inches dia, 20 ft.)	5	2,500
		HDPE Pipe (1 inches dia, 100 ft.)	1	825
		Total		**1,20,000**

संलग्न- भौतिक वित्तीय लक्ष्य।

(पुष्कर सिंह)
आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3559 भोपाल, दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संलग्न अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- सागर, कटनी, दमोह, पन्ना एवं नीमच।
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- जबलपुर, सागर एवं उज्जैन।

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार वर्ष 2019-20 अंतर्गत उच्च तकनीकी से पान की खेती के भौतिक-वित्तीय लक्ष्य का वर्ष 2020-21 में आंवटन

क्र.	जिला	भौतिक (संख्या)				वित्तीय (लाख में)			
		सामान्य	अजजा	अजा	योग	सामान्य	अजजा	अजा	योग
1	पन्ना	61	0	15	**76**	25.620	0.000	6.300	**31.920**
2	कटनी	115	0	10	**125**	48.300	0.000	4.200	**52.500**
3	दमोह	88	0	12	**100**	36.960	0.000	5.040	**42.000**
4	सागर	120	0	15	**135**	50.400	0.000	6.300	**56.700**
5	नीमच	50	0	0	**50**	21.000	0.000	0.000	**21.000**
योग		**434**	**0**	**52**	**486**	**182.280**	**0.000**	**21.840**	**204.120**

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल